

31 ⁵/₁₉

पत्रावली देवा हुई। अतिगाधन उभयपक्ष उपस्थित।
बहर उभयपक्षीय सुनी गई। पत्रावली वास्तु आदेश
दिनांक 13.6.19 को देवा हो।

N

13 ⁶/₁₉

पत्रावली वास्तु आदेश देवा हुई। अ उभयपक्ष सम्मेलनी
कार्य से उपस्थित होने के कारण आदेश सुनाया जाना
सम्भव नहीं। अतः पत्रावली वास्तु आदेश दिनांक
17.6.19 को देवा हो।

N

17 ⁶/₁₉

पत्रावली वास्तु आदेश देवा हुई। प्रस्तुत अपील लक्ष्मण
- याया. द्वारा धारा 212 RT ACT के अन्तर्गत - फर से
पारित आदेश के विरुद्ध है। अंकि मूल वाद से पारित क्रि
श डिडी के खिलाफ देवा की गई अपील सं. 58/18
का आज विस्तारण हुआ जा चुका है। अतः प्रस्तुत
अपील प्रमावलीत हो चुकी है इसलिए प्रमावलीत होने
के कारण अपील रगारिज की जाती है। पत्रावली पेंसल
वुआर होकर, मध्यर से उभय की जाकर बाद लक्ष्मण जाकर
वारिबल फलतः की जावे।

N

भू-पबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर